

राजेश कुमार, भा.प्र.से. प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रमण्डलीय विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण करने हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करने तथा इसके नियमित अनुश्रवण हेतु बिन्दुवार निम्न निदेश दिये गये-

1. गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाती है तथा विभागीय स्तर पर कार्रवाई का निदेश प्राप्त होता रहता है। गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9430 दिनांक 26.08.2025 का कंडिका-वार प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजें।
2. बंगलादेशी/पश्चिम बंगाल सीमा से अवैध घुसपैठ के मामलों पर पूरी निगरानी रखी जाय तथा सभी सीमावर्ती अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष का संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त करने/प्रेषण करने की साप्ताहिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। घुसपैठ की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त छापेमारी कराई जाय। साथ ही पुलिस के स्तर से आवागमन के रास्तों पर चेकपोस्ट स्थापना एवं गश्ती हेतु संसाधन अधिष्ठापन/व्यवस्था का कार्ययोजना सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में तैयार करते हुए उपलब्ध करावें, ताकि कार्ययोजना संयुक्त रूप से सरकार को भेजा जा सके।
3. सभी थानों द्वारा प्रत्येक दिन दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती प्रभावशाली ढंग से किया जाय तथा इसको प्रभावकारी बनाने हेतु थानावार समीक्षा नियमित रूप से किया जाय। गंभीर अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित अनुसंधान, त्वरित विचारण एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना-वार विशेष अभियान चलाया जाय।
4. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला विधिक अनुश्रवण समिति (DLMC) की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लिया जाय।
5. पूर्णिया प्रमंडल के जिलों में दुर्दांत अपराधियों, भू-माफिया, शराब-माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी रूप से Crime Control Act and BNSS के तहत ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। तथा इनके अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जफती हेतु कानूनी कार्रवाई की जाय।
6. महिला उत्पीड़न, बच्चों की तस्करी एवं मानव व्यापार जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त व्यक्तियों/संगठित गिरोहों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध CCA के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाय। हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने हेतु सभी थानों द्वारा सतर्कता बरती जाय। साथ ही सार्वजनिक रूप से अश्लील गाने (जिससे राज्य की छवि धूमिल होती है) पर प्रभावी रोकथाम किया जाए।
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में ससमय अनुसंधान एवं पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
8. जिला अन्तर्गत शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल NDAL पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय। साथ ही आयुध नियम-2016 के तहत जिले में कार्यरत आयुध विनिर्माण इकाई/शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान के शस्त्र एवं कारतूस के स्टॉक पंजी संधारण के छमाही प्रतिवेदन संबंधित विवरणी नियमित रूप से विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

9. आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत एक UIN पर कोई भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अधिकतम दो शस्त्र ही धारित कर सकते हैं। दो शस्त्र से अधिक मामलों में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा शस्त्र को पुलिस थाने में जमा कराने हेतु कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।
10. विगत विधानसभा चुनाव 2025 में जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद शस्त्र निरीक्षण नहीं कराने तथा थाना में जमा नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र की जाय।
11. Arms Rules, 2016 के नियम 13 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना है। इस मामले में विलंब के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जिला दण्डाधिकारी ऐसे मामलों की समीक्षा कर लेंगे तथा प्राप्त आवेदनों का सकारण आदेश से निर्धारित समय सीमा में निस्तार करने का प्रयास करें। साथ ही नियम-14 के तहत निर्धारित समय सीमा में पुलिस प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।
12. सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संदर्भ में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से समीक्षा कर लें तथा क्रमिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पुनः उस जगह पर अतिक्रमण न हो।
13. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवारों का शीघ्र निस्तार किया जाना आवश्यक है। लोक प्राधिकार का यह दायित्व है कि आवश्यक जाँच पड़ताल कर परिवार के बिन्दुओं को विनिश्चित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करें एवं तदनुसार प्रतिवेदन भेजें। कई मामलों में संबंधित थानाध्यक्ष के स्तर से सीधे प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जो इस कानून के प्रति पदाधिकारी के उदासीनता को दर्शाता है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दाखिल परिवारों में लोक प्राधिकार के रूप में पुलिस अधीक्षक को ही परिवार की जाँच कराकर विनिश्चय करते हुए कार्रवाई करनी है। इसे कनीय पदाधिकारियों पर छोड़ना उचित स्थिति नहीं है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।
14. भूमिहीन थाना/अन्य पुलिस प्रतिष्ठान/भूमिहीन अग्निशमालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण संबंधित लंबित मामले के शीघ्र निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
15. अवैध हथियारों/विस्फोटकों की बरामदगी तथा शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम संबंधित अपराध के अन्तर्गत दर्ज कांडों का निष्पादन विशेष अभियान चलाकर किया जाय।
16. विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट का तामिला समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय। गंभीर मामलों में वारंट का तामिला प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
17. बैंक डकैती, फिरोती हेतु अपहरण, अपहरण, बलात्कार इत्यादि के मामलों पर कड़ी नजर रखने एवं त्वरित अनुसंधान कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। शहर के बड़े दुकानों, बैंक, ज्वेलरी दुकान का सुरक्षा ऑडिट एक माह के अन्दर किया जाए। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
18. भूमि विवाद के समाधान हेतु प्रत्येक शनिवारीय बैठक में अंचल अधिकारी के साथ थाना प्रभारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इन बैठकों के माध्यम से प्रभावी रूप से भूमि विवाद की समस्या का निराकरण किया जाय। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर से भूमि विवाद के मामलों में संगत नियमानुसार एकरूपता से कार्रवाई की जाए किसी भी स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर वैधानिक अधिकार धारित करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। तथा वैधानिक अधिकारी धारित रहने/नहीं रहने का विनिश्चय संगत साक्ष्यों के आधार पर

सही-सही किया जाए। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

19. अपराधों के अनुसंधान एवं आमजनों में विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए CCTV एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी संबंधित जिलों में महत्वपूर्ण स्थानों एवं सभी थानों में CCTV अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।
20. Cyber Crime के तहत दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी कांडों का उद्भेदन कर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाय। Cyber Crime के रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर आपबीती घटना से संबंधित वीडियो डालकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाय।
21. सोशल मीडिया के Outreach को देखते हुए सोशल मीडिया सेल में कुशल कर्मियों/पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाय तथा जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जाय ताकि आम जनता को उसकी जानकारी मिल सके तथा आमजन के बीच प्रशासन की छवि बेहतर हो सके।
22. नीलाम पत्र वादों के प्रगति की समीक्षा राजस्व पर्षद के स्तर से की जा रही है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार लंबित BW/DW एवं विगत 6 माह में वारंट Execution की जिला-वार स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	दिनांक 30.11. 2025 तक लंबित BW	दिनांक 30.11. 2025 तक लंबित DW	विगत 6 माह में BW Execution	विगत 6 माह में DW Execution
01	पूर्णिया	1525	---	224	0
02	किशनगंज	4406	261	242	10
03	कटिहार	696	73	82	6
04	अररिया	720	18	60	0

प्रतिवेदन के अनुसार BW/DW निष्पादन के मामले में सभी जिला को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि राजस्व पर्षद के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो।

23. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपराध एवं विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण ऐसा हो कि अपराधियों में भय व्याप्त हो तथा कानून पसंद जनता के मन में प्रशासन के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो।

अंत में बैठक की कार्यवाही सघन्यवाद समाप्त की गयी।

हो।-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक/पूर्णिया, दिनांक

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हो।-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक6777...../पूर्णिया, दिनांक ...03-12-2025

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Raj k.

03/12/2025.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया